

1990-91

में

उत्तर प्रदेश सरकार

के

व्यय के लिये

लेखानुदान



मार्च, 1990.

मुद्रक :

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

लेखानुदान
199 0-91

NIEEPA DC



ED005193

Sub. National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, S.A. Road, Connaught Place, New Delhi-110016
DOC. No. D-5/93
Date..... 30/4/90

टिप्पणी

मंत्रिधान के अनुच्छेद 206 के अनुसार विधान सभा से अनुरोध किया जाता है कि जब तक वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की मांगों पर ब्योरेवार विचार न हो जाय, वह वर्ष 1990-91 के प्रथम चार माह अर्थात् अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई, 1990 में होने वाले सम्भावित वचनबद्ध व्यय की स्वीकृति दे दें। इस विवरण-पत्र में मोटे तौर पर वर्ष 1990-91 के अनुमानित वचनबद्ध व्यय के 4/12वें भाग की व्यवस्था की गई है परन्तु जिन दशाओं में यह अनुपात कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता और बारह माह की अवधि में भुगतान की जाने वाली धनराशि सामान रूप से वितरित नहीं की जा सकती वहाँ आवश्यकतानुसार व्यवस्था की गई है।

में,, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 1990 में इसके साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुए प्रत्येक सेवा या प्रयोजन के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय की चुकाने के लिये राज्यपाल माहोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाये जो 30,06,59,78,000 रुपये से अधिक न हो।

7 मार्च, 1990,

तदनुसार

16 फाल्गुन, शक सम्बत् 1911

मुलायम सिंह यादव,

मुख्य मंत्री

31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है।

(हज़ार रुपये में)

अनुदान / क्रम-संख्या तथा उसका विवरण	कुल मांग				लेखानुदान के लिए आवश्यक धनराशि			
	राजस्व		पूँजी		राजस्व		पूँजी	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
1--आवकारी विभाग	6,87,08	10	11,00	..	2,29,03	3	3,67	..
2--आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	22,83,80	10,90,00	58,70,00	6,29,00	7,61,27	7,63,33	19,56,67	4,59,67
3--आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	2,12,81,39	70,93,80
4--उद्योग विभाग (खाने और खनिज)	2,89,47	10	1,50,00	..	1,26,49	3	50,00	..
5--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	25,17,72	25	3,70,00	..	11,39,24	8	1,23,33	..
6--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	37,76,23	8,07	9,47	10,16	12,58,74	2,69	3,16	3,39
7--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2,86,90	1,04,50	20,35,00	1,36,69	95,63	34,83	6,78,33	45,56
8--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	19,94,97	6,64,99
9--उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	22,00	..	1,33,00	..	7,33	..	44,33	..
10--ऊर्जा विभाग	1,74,16	..	7,70,73,89	..	68,05	..	2,56,91,29	..
11--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (शैक्षणिक विकास)	20,20,45	8,56	2,88,93	..	6,73,48	2,85	96,31	..
12--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	1,63,96,82	3,12	90,42,50	50	54,65,61	1,04	30,14,17	17
13--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,98,11,14	50	7,06,00	..	1,65,37,05	17	2,35,33	..
14--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज)	53,25,56	21	17,75,19	7

(हजार रुपयों में)

अनुदान / क्रम-संख्या तथा उसका विवरण	कुल मांग				लेखानुदान के लिये आवश्यक धनराशि			
	राजस्व		पूँजी		राजस्व		पूँजी	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
15-- कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पशुधन)	42,60,34	10	51,11	..	14,20,11	3	17,04	..
16-- कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	2,08,92	1,81	..	6,00	69,64	60	..	2,00
17-- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	5,95,65	2	1,98,55	1
18-- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	8,84,64	10,52,41	34,50,00	9,52,55	4,94,88	3,50,80	11,50,00	3,17,52
19-- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	32,41,04	10,80,34
20-- कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	1,18,77	39,59
21-- कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	1,01,85	2,44,80	8,00	..	33,95	81,60	2,67	..
22-- खाद्य तथा रसद विभाग	25,56,89	4,00,90	11,17,57,00	55,00,50	8,52,30	1,33,63	3,72,52,33	18,33,50
23-- खेल विभाग	2,77,93	92,64
24-- गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	12,00,63	26	4,50,00	1,78	4,00,21	9	1,50,00	59
25-- गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	21,26,29	19,66,23	67,50,00	1,90,50	7,08,76	6,55,41	22,50,00	63,50
26-- गृह विभाग (कारागार)	28,15,30	2	9,38,43	1
27-- गृह विभाग (पुलिस)	4,99,31,57	51,26	4,53,64	55,53	1,66,43,86	17,09	1,51,21	18,51
28-- गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	17,52,66	5,84,22
29-- गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	34,91,78	11,63,93
30-- गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	55,05	18,35

* 31--गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	..	80,31	26,77
32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	1,71,24,53	1,00	9,54,51	..	57,08,18	33	3,18,17	..
33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	28,70,54	2	9,56,85	1
34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	8,25,32	2,75,11
35--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	62,03,91	25	15,00	..	20,67,97	8	5,00	..
36--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	74,31,60	39	2	..	24,77,20	13	1	..
37--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	91,20,16	50	30,40,05	17
38--नागरिक उड्डयन विभाग	2,52,16	84,05
39--नियुक्ति विभाग	52,30	17,43
40--नियोजन विभाग	11,15,73	3,71,91
41--निर्वाचन विभाग	13,43,16	4,47,72
42--न्याय विभाग	47,42,06	8,48,37	15,80,69	2,82,79
43--परिवहन विभाग	42,94,78	12	60,79	..	14,31,59	4	20,26	..
44--पर्यटन विभाग	1,82,68	60,89
45--प्रशासनिक सुधार विभाग	44,50	14,83
46--प्राविधिक शिक्षा विभाग	32,51,55	85,02	10,83,85	28,34
47--पर्वतीय विकास विभाग	78,27,59	21,50	72,93,48	18,00	28,09,20	7,17	24,77,49	6,00
48--मुस्लिम वक्फ विभाग	52,25	2,73	17,42	91
49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग	39,22,12	13,07,37
50--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	51,60,77	35	17,20,26	12
51--राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	12,10,77	10,59	1,42,23	29,84	4,03,59	3,53	47,41	9,95
52--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	1,62,28,50	1,57,25	48,13	2,01,52	54,09,50	52,42	16,04	67,17
53--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	84,89	..	1,00	..	28,30	..	33	..

*भारत विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

(हजार रुपयों में)

अनुदान / क्रम-संख्या तथा उसका विवरण	कुल मांग				लेखानुदान के लिये आवश्यक धनराशि			
	राजस्व		पूँजी		राजस्व		पूँजी	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
54--वन विभाग	92,08,74	20,84	28,76	..	30,69,58	6,95	9,59	..
55--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	17,83	13,32,60,77	20,95,00	14,48,51,24	5,94	4,44,20,26	9,98,33	4,82,83,75
56--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनों)	2,17,38,37	15,37	72,46,12	5,12
57--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	10,87,67	..	5,00	..	3,62,56	..	1,67	..
58--वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	1,39,60,82	46,53,61
59--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	18,23,44	3	6,07,81	1
60--वित्त विभाग (सामूहिक वीमा)	14,39	16,89,69	4,80	5,63,23
61--विधान परिषद् सचिवालय	1,94,53	4,38	64,84	1,46
62--विधान सभा सचिवालय	7,44,81	7,28	2,48,27	2,43
63--विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	1,80,00	1,60,00	..
64--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	4,20,00	1,40,00
65--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	7,50,33,20	38,33,01	2,50,11,07	12,77,67
66--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	5,29,83,74	50,00,55	33,00	..	1,76,61,25	16,66,85	11,00	..
67--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	1,37,69,05	55,85	30,00	..	45,89,68	18,62	10,00	..
68--शिक्षा विभाग (प्रौढ शिक्षा)	6,44,28	2,14,76
69--शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	2,42,06	80,69
70--श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	38,62,94	2	12,87,65	1
71--श्रम विभाग (सेवायोजन)	26,28,96	20	8,76,32	7
72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	75,62,25	5	25,20,75	2
73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	5,11,07	9,02	9,09,98	1,00	1,70,36	3,01	5,53,33	33
74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	3,67,11	21,97	5,50,89	50	1,22,37	7,32	3,33,63	17

75--सर्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	31,54	20	14,08,60	3,25	10,51	7	4,69,53	1,08
76--सर्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	94,58,72	10	2,07,71,10	50	31,52,91	3	1,19,23,70	17
77--सर्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य संपत्ति निदेशालय)	8,17	2,72
78--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	1,38,20,57	1,00	86,74,00	..	46,06,86	33	28,91,33	..
79--सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य)	5,05,05,12	10,52	4,14,18,00	57,01	1,69,35,04	3,51	1,39,56,00	19,00
80--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	37,98	2	25,00	..	12,66	1	8,33	..
81--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	36,10,55	40	12,03,52	13
82--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	1,34,35	44,78
83--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	6,98,96	4	2,32,99	1
84--सचिवालय प्रशासन विभाग	35,82,62	4	11,94,21	1
85--सतर्कता विभाग	3,14,49	19,44	1,04,83	6,48
86--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	24,01	5	9,62	50	8,00	2	3,21	17
87--सांस्कृतिक कार्य विभाग	2,95,62	2	98,54	1
88--सामान्य प्रशासन विभाग	6,53,41	2	2,19,80	1
89--सर्वजनिक उद्यम विभाग	39,70	13,23
90--सूचना विभाग	7,30,73	2,43,58
91--सैनिक कल्याण विभाग	1,60,50	2	1,00	..	53,50	1	33	..
92--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)	1,20,69,50	2	2	..	40,23,17	1	1	..
93--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	12,79,58	2	4,26,53	1
94--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जन-जाति कल्याण)	2,99,42	2	99,81	1
योग--राजस्व/पूंजी ..	55,83,99,67	15,00,92,58	30,32,64,67	15,26,46,57	19,35,75,24	5,04,30,89	10,70,84,54	5,11,32,20
कुल योग	70,84,92,25		45,59,11,24		24,40,06,13		15,82,16,74	
			1,16,41,03,49				40,22,22,87	

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 191 सा० वित्त-8-2-90--(3932)--1990--2,500 (मैग०)।